

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 फरवरी 2022—माघ 14 शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2022

क्र. एफ. 1-5-2011-एक (1).—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-5-2011-एक (1), दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

- (1) अनुक्रमांक 30 में, शब्द “राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधान सभा” का लोप किया जाए.
- (2) अनुक्रमांक 31 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“31. आयुक्त (सुपरटाइम स्केल)  
संभागों के संभागीय आयुक्त  
मध्यप्रदेश शासन के सचिव, राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश,  
मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधान सभा तथा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी  
रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय  
अतिरिक्त, पुलिस महानिदेशक  
संभागीय रेल प्रबंधक, रेलवे  
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षण.”

- (3) टीप 5 का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2022

क्र. एफ. 1-5-2011-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-5-2011-एक (1), दिनांक 3 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd February 2022

No. F 1-5-2011-One(1).—The State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F-1-5-2011-One(1) dated 23rd December, 2011, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 23rd December, 2011, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said notification,—

- (1) in serial number 30, the words “Secretary to Governor, Madhya Pradesh, Secretary to the Chief Minister, Madhya Pradesh, Secretary of Madhya Pradesh State Legislative Assembly” shall be omitted.
- (2) for serial number 31 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“31. Commissioners (Supertime Scale)

Divisional Commissioners of Divisions

Secretaries to the Government of Madhya Pradesh,

Secretary to Governor, Madhya Pradesh, Secretary to the Chief Minister, Madhya Pradesh,

Secretary of Madhya Pradesh State Legislative Assembly and Officers of equivalent rank

Registrar of High Court of Madhya Pradesh

Additional Director General of Police

Divisional Railway Manager, Railways

Additional Principal Chief Conservator of Forest.”

- (3) Note 5 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
GIRISH SHARMA, Dy. Secy.